राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक :– मुसप्र / 2013 / 68 दिनांक :– 9/4/2013

कार्यालय–आदेश

योजनावार एवं श्रेणीवार पूर्णनिर्मित, निर्मित किन्तु अनिस्तारित आवासों की स्थिति एवं उनके समयबद्ध निस्तारण के दृष्टिगत दिनांक 02.04.2013 को आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त आवासन आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि सभी उप आवासन आयुक्त अपने वृत्त कार्यालयों में स्थित आवासीय योजनाओं में निर्मित आवासों की अपने स्तर पर सर्वप्रथम समीक्षा कर रिक्त पडें आवासों / मण्डल कार्मिकों को पूर्व में किराये पर दिये गये वे आवास जो वर्तमान में खाली है का समयबद्ध निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कतिपय आवासों के संबंध में किसी प्रकार का न्यायिक वाद लम्बित है तो वाद से संबंधित प्रभारी अधिकारी से चर्चा कर अपने वृत्त क्षेत्र में लम्बित न्यायिक वादों की अध्यतन सूची तैयार करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद प्रकरणों में समुचित जवाब दावा पेश हो। उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में आवासन आयुक्त महोदय द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी। आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार अध्यतन सूचना तैयार कर बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बैठक वृत्तवार होगी, जयपुर शहर के वृत्तों की बैठक पहले रखी जावेगी। बैठक की सूचना से पृथक से अवगत करा दिया जावेगा।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव– आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, पीएण्डएम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–..................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–..................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

Desktop-I Letter